न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 300/2017 व 308/2017

1. जवानाराम
2. हरिनारायण
3. प्रहलाद

पुत्रान हरनाथ पुत्र महादेव गुर्जर, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा, ग्राम पंचायत देहलाला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. केसरा पुत्र भागीरथ
2. फूला पत्नी भागीरथ
3. श्रवण पुत्र रामदेव
4. जग्गू पुत्र रामदेव
5. गोपी पुत्र रामदेव
6. मूलचन्द पुत्र सोन्या

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट/वादीगण–

7. रेवड़मल
8. फैलीराम
9. रामखिलाडी
10. हरिराम
11. मीठालाल
12. प्रहलाद

पुत्रान मनफूल

13. रामफूल पुत्र हरनाथ
14. नारायणणीर देवी पत्नी हरनाथ
15. गुलाब पुत्री हरनाथ
16. शांती पुत्री भोलू पौत्री हरनाथ
17. पाना पुत्री भोलू पौत्री हरनाथ
18. धोली पुत्री भोलू पौत्री हरनाथ

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

19. गंगासहाय
20. जगदीश
21. रामप्रसाद
22. रामअवतार

पुत्रान नानगराम, समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, रामजीपुरा, मालवीय नगर, सैक्टर–7, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

23. अर्जुन पुत्र खेवरा
24. सूरजनलाल पुत्र खेवरा
25. मिश्रीलाल पुत्र लालाराम

26. मुकेश पुत्र लालाराम
27. भागीरथ पुत्र लालाराम
28. रामप्यारी बेवा लालाराम
29. रामसहाय पुत्र रामचन्द्र
30. गंगासहाय पुत्र पन्नालाल

समस्त जाति मीणा, निवासियान ग्राम रामनगर, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

31. मीठालाल
32. गोपाल
33. रामस्वरूप

पुत्रान रामचन्द्र, समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

34. नोन्दा पुत्र श्योराम
35. मैदा पुत्र श्योराम
36. मूली पत्नी भगवान सहाय
37. नाथूलाल पुत्र भगवानसहाय
38. सांवलराम पुत्र भगवानसहाय
39. ग्यारसी पत्नी कल्याणसहाय
40. सीताराम पुत्र कल्याणसहाय
41. जगदीश पुत्र कल्याण सहाय
42. धन्नालाल पुत्र कल्याण सहाय
43. बिरदा पुत्र कालू
44. रामलाल पुत्र कालू
45. गोपाल पुत्र कालू
46. शंभूदयाल पुत्र रामसहाय
47. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसहाय
48. मेघराज पुत्र रामसहाय
49. मूली बेवा रामसहाय
50. भौरया पुत्र मंगला
51. महादेव पुत्र मंगला
52. हनुमान पुत्र श्योपाल
53. सोनी देवी पत्नी गोपाल
54. हजारी पुत्र श्योपाल
55. रामजीलाल पुत्र श्योपाल
56. कल्याण पुत्र गंगाराम
57. छीतरमल पुत्र गंगाराम
58. फैलीराम पुत्र पूनीराम

59. मिश्रीलाल पुत्र पूनीराम
60. लालाराम पुत्र पूनीराम
61. जगन्नाथ पुत्र गोविन्दा
62. बद्रीनारायण पुत्र गोविन्दा
63. लादूराम पुत्र नैन्या
64. लल्लूलाल पुत्र नैन्या
65. काली बेवा नैन्या
66. प्रहलाद पुत्र शंकर
67. भूराराम पुत्र शंकर
68. रामसहाय पुत्र शंकर
69. छोटी बेवा शंकर
70. पांचू पुत्र गिरधारी
71. रामू पुत्र मोडिया

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

72. दीयाराम पुत्र रंगलाल
73. लक्ष्मण पुत्र रंगलाल

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

74. गडूली देवी पत्नी रामस्वरूप जाति गुर्जर, निवासी मेदार तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
75. सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स / प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री कमलेश शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से।

3– श्री महेन्द्र शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 12, 19 लगायत 47, 49 लगायत 64, 66 लगायत 69, 71 लगायत 74 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 15–12–2017

1. उक्त दोनों अपीलें क्रमशः निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16–6–2015, निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 15–11–2016 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 202/2013 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलें एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 6 द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि तहसील कोटखावदा के ग्राम थूनी मदनमोहनपुरा में खाता नंबर 35 कुल किता 50 कुर रकबा 45.80 हैक्टै0, खाता

संख्या 36 खसरा नम्बर 194 रकबा 7.90 हैक्टै0, खाता संख्या 38 कुल किता 64 कुल रकबा 30.09 हैक्टै0, खाता संख्या 39 कुल किता 9 रकबा 5.76 हैक्टै0 भूमि स्थित है। का पक्षकारों ने बाहमी तकास्मा कर रखा है किन्तु विधिवत तकास्मा के अभाव में विवाद रहता है इस कारण भूमि का विधिवत तकास्मा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–2015 को प्रकरण में प्राथमि डिक्री जारी कर दी गई तथा दिनांक 15–11–2016 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिनके विरूद्ध यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें क्रमशः अपील संख्या 300/2017व 308/2017 के रूप में दर्ज रजिस्टर की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री किये जाने से पूर्व शेष सह खातेदारों को ना तो नोटिस दिये, ना ही तामील करवाई, ना ही सुनवाई का मौका दिया तथा सीधे ही सरसरी तौर पर दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया जिसके कारण उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स के पिता हरनाथ जो कि प्रतिवादी संख्या 7 थे का देहान्त दिनांक 21–12–2014 को ही हो चुका था तो दिनांक 16–6–2015 को वे किस तरह न्यायालय में आये या किस तरह उनकी तामील मानी गई यह पूर्णतया सन्देहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लिये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 ल0 11 जयपुर में रहते हैं तथा प्रतिवादी नंबर 66 निवाई जिला टोंक में रहती थी। जिनके समन तामील नहीं करवाये गये। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा केवल वादीगण को फायदा पहुंचाते हुए मौका का स्थिति के विपरीत कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं तथा हाल अपीलार्थीगण का पूरा कब्जा दूसरों को दे दिया गया है। तहसीलदार व गिरदावर पटवारी मौके पर नहीं गये हैं तथा गुपचुप में रिपोर्ट तैयार की गई हैं। कुरेजात पूर्णतया राजस्व मंडल के विभाजन नियमों के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 7, 12, 62 व 65 फौत हो चुके थे तथा इन मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अपीलार्थीगण के पिता की कभी तामील नहीं हुई तथा न ही अपीलार्थीगण के पास कोई सम्मन आया इसलिए अपीलार्थीगण को निर्णय व डिक्री की कोई सूचना नही प्राप्त हो सकी। अपीलार्थीगण अपनी विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने दिनांक 17–4–2017 को पटवारी के पास जाने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई तथा जानकारी के पश्चात् अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानते हुए निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16–6–2015 व निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 15–11–2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट् द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुए

हैं फिर भी दिनांक 16–6–2015 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा दिनांक 15–11–2016 को अन्तिम डिक्री भी जारी कर दी गई। अपीलान्ट् के पिता हरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी फिर भी उनके वारिवान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। अपीलान्ट्स को कब्जे काश्त के अनुसार भूमि नहीं दी गई है तथा विवादित भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित की गई है। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है अतः अपील अपीलान्ट् अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ल0 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 प्रस्तुत किया गया तथा अपने जवाब में कथन किया गया कि अपीलान्टस के पिता हरनाथ पर विधिवत रूप से तामील करवाये जाने के पश्चात् दिनांक 16–6–2015 के राजस्व लोक अदालत में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा दिनांक 15–11–2016 को अन्तिम डिक्री जारी हुई है जिसके विरूद्ध बिना किसी उचित कारण के 665 दिन विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है तथा देरी का कोई सन्तोषजनक कार्य नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ हल्का पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है जिनके माध्यम से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने का कथन अपीलान्ट्स द्वारा किया गया है। अपीलान्ट्स के पिता पर विधिवत रूप से तामील करवाई गई है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की बखूबी जानकारी अपीलान्ट्स को रही है तथा प्रकरण को मात्र लम्बित रखने तथा प्रत्यर्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की गर्ज से यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसे प्रारम्भिक तौर पर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट्स के अलावा अन्य किसी पक्षकारान ने निर्णय को चुनौती नहीं दी है। मौके पर कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारे के अनुसार विभाजन किया गया है। अपीलान्ट्स को भी उनके कब्जे अनुसार भूमि दी गई है। अपीलान्टस द्वारा विभाजन पर गुणावगुण के आधार पर कोई आपत्ति अपनी अपील में नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 12, 19 लगायत 47, 49 लगायत 64, 66 लगायत 69, 71 लगायत 74 द्वारा अपनी बहस में रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 6 के कथन का समर्थन किया गया।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 11–2–2015 को तलबी में विचाराधीन थी तथा आगामी पेशी दिनांक 22–4–2015 नियत की हुई थी। उसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 16–6–2015 को पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत ग्राम देहलाला में पेश हुई। उक्त दिवस की आदेशिका में उल्लेख है कि "वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाये जाकर शामिल पत्रावली में किया जाता है। पत्रावली वास्ते कुरेजात व नक्शा हेतु दिनांक 4–8–2015 को पेश हो।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि "दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण आज

दिनांक 16–6–2015 को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट देहलाला में बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। दावा तकास्मा का है इसलिए वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपनी आदेशिका में तथा न ही निर्णय में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण में से किन किनकी तामील पर्याप्त हुई है तथा किनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो लोक अदालत कैम्प 16–6–2015 में उपस्थित होने बाबत् प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये हैं उनमें ज्यादातर में जो तामीली रिपोर्ट है वह अपर्याप्त है। कई नोटिसों पर प्रतिवादी के बाहर रहने की रिपोर्ट है तथा कई पर इंकारी की रिपोर्ट है। अपीलान्ट्स के पिता हरनाथ के नोटिस पर रिपोर्ट की गई है कि प्रतिवादी मर चुका है। उससे पूर्व भी दिनांक 14–8–2013 को अपीलान्ट्स के पिता हरनाथ को जारी नोटिस पर मात्र यह अंकित है कि कि एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की। इस पर भी गवाहान के पूर्ण पता आदि अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अपीलान्ट्स को सुने बगैर तथा उन्हें नोटिस समुचित रूप से तामील करवाये बगैर जारी की गई है। प्रकरण में जो कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं वे गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं तथा तहसीलदार द्वारा कांउटर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसका आशय यह है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार नहीं किये गये है। कुरेजात रिपोर्ट पर मात्र वादीगण के हस्ताक्षर है इनसे यह नहीं माना जा सकता है कि कुरेजात रिपोर्ट उभय पक्षकारान के समक्ष तैयार किये गये हों। प्रकरण में मृतको के वारिसों को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाकर मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–6–2015 व दिनांक 15–11–2016 न्याय के प्राकृतिक सिन्द्धात एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी की गई है। अपील जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16–6–2015 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 15–11–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गुणावगुण पर उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों के साथ सलंग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 15–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर